प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 10.09.2026

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 10.09.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त रिहान चौधरी पुत्र श्री जावेद उर्फ रोबी निवासी तुलसी निकेतन थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को तिकोना पार्क कोयल एन्कलेव के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई, जिसके सम्बन्ध में थाना ज्योति नगर दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त रिहान चौधरी के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर धारा- 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त रिहान चौधरी से पूछताछ करने पर बताया कि मै नशे का आदी हूँ, नशे की पूर्ति के लिये दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करता हूँ , और उन्हे सस्ते दामों में बेच देता हूँ, उक्त मोटर साइकिल को करीब डेढ़ महीने पहले इंडियन आयल पेट्रोल पम्प नियर संग्राम बुद्ध विहार ज्योति नगर दिल्ली से चोरी किया था। आज दिनांक 10.09.2026 को उक्त मोटर साइकिल को बेचने के लिये तिकोना पार्क कोयल एन्कलेव के आस-पास घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रिहान चौधरी पुत्र श्री जावेद उर्फ रोबी निवासी तुलसी निकेतन थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त रिहान चौधरी के विरुध्द थाना ज्योति नगर दिल्ली पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है, तथा थाना टीलामोड़ पर बरामदगी के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 1 जोड़ी पीली धातु गोल कानों के कुंडल, 1 जोड़ी पीली धातु लटकन दार कानों के कुंडल, 1 पीली धातु अंगूठी, 1 पीली धातु अंगूठी नयगदार व 65,000 रूपये नगद बरामद ।

घटना का विवरणः- दिनांक 29.08.2026 को वादी जयन्त पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी आई 299 04 गोविन्दपुरम थाना कविनगर कमि0 गाजियाबाद ने अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर में अलमारी से सोने के आभूषण व सोने का सिक्का व नगदी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर तहरीर दी। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरणः- घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टींम द्वारा दिनांक 10.09.2026 को 1. समीर पुत्र यासीन निवासी –रसूलपुर सिकरोडा, थाना – मसूरी , जिला गाज़ियाबाद उम्र 21 वर्ष 2. अनवर पुत्र अख्तर निवासी कल्लूगढ़ी ईदगाह वाली मस्जिद के पास, थाना मसूरी जिला गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को एनडीआरएफ ग्राउण्ड के पहले गेट के पास चौकी क्षेत्र गोविन्दपुरम से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

दोनो अभियुक्तगणों ने पूछने पर बताया कि हमसे बरामद सोने के आभूषण व नगदी हमने कुछ दिन पहले आई ब्लॉक गोविंदपुरम के एक घर से घर का ताला तोड़कर चोरी किये थे। आज इन्ही आभूषणों को बेचने के लिये निकले थे और बेचने के बाद जो पैसे मिलते, उन्हे आपस में बराबर बाँट लेते। हमने यह चोरी पैसों की कमी के चलते की थी।

अभियुक्त का नाम पता-

1. समीर पुत्र यासीन निवासी –रसूलपुर सिकरोडा, थाना – मसूरी , जिला गाज़ियाबाद उम्र 21 वर्ष
2. अनवर पुत्र अख्तर निवासी कल्लूगढ़ी ईदगाह वाली मस्जिद के पास, थाना मसूरी जिला गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

बरामदगी

- 1 जोड़ी पीली धातु गोल कानों के कुंडल
- 1 जोड़ी पीली धातु लटकन दार कानों के कुंडल जिसमे 3-3 चैन लटकी हुई है
- 1 पीली धातु अंगूठी
- 1 पीली धातु अंगूठी नयगदार
- 65,000 रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाले टीमः-
थाना कविनगर पुलिस टीम जनपद गाजियाबाद

आज दिनांक 10.09.2026 को श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी पुलिस उपायुक्त ग्रामीण के कुशल दिशा-निर्देशन में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु ग्रामीण जोन के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से ग्रामीण जोन के समस्त 09 थानों द्वारा सतर्कता बरतते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 126/135 के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान कुल 2,350 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई (पाबंद) अमल में लाई गई है।

अभियान के मुख्य बिंदु:
श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी पुलिस उपायुक्त ग्रामीण के कुशल दिशा-निर्देशन में कार्रवाई संपादित की गई। ग्रामीण जोन के सभी 09 थाना क्षेत्रों में एक सघन अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान कुल 2,350 असामाजिक एवं शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले संभावित व्यक्तियों को चिन्हित कर पाबंद किया गया।

अभियान का मुख्य उद्देश्य:
आगामी त्यौहारों/गतिविधियों के दृष्टिगत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करना।
"ग्रामीण जोन में शांति एवं कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी असामाजिक एवं शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा का वातावरण बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है।"

"श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण"
कमिश्नरेट गाजियाबाद

कमिश्नरेट पुलिस ग्रामीण जोन आम जनमानस की सुरक्षा के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है तथा भविष्य में भी ऐसे निरोधात्मक व निवारक अभियान निरंतर जारी रहेंगे।